ISSN: 2349 – 4891

ISSN: 2349 - 4891

International
Journal of Recent Research and Applied Studies
(Multidisciplinary Open Access Refereed e-Journal)

"भारत में बाल–अपराध नियंत्रण में मीडिया की भूमिका का अध्ययन"

डॉ ललित मोहन चौधरी

श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

शोधार्थी नीतू शर्मा

श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

वर्तमान समय मे बाल–अपराधियों की बढती संख्या सरकार और समाज दोनो के लिये विचारणीय है। बाल–अपराध केवल आधुनिक समाज की देन है। बाल–अपराधी हर काल और हर प्रकार के समाजों में मौजूद रहे हैं। आधुनिक परिवर्तनशील समाजों में बाल–अपराधियों की संख्या बढ रही हैं। साथ ही बदलते समय के साथ–साथ बाल–अपराध की प्रकृति में तेजी से बदलाव आया है। यह एक ऐसी समस्या है जो मूल रूप से परिवार और समुदाय के विघटन का परिणाम है। दुनिया के लगभग सभी देशों में बाल अपराधियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि चिंता का विषय है क्योंकि जिन बच्चों पर देश या राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है अगर वे असामान्य बच्चे बन जाते हैं तो देश का भविष्य बिगड़ सकता। प्रस्तुत अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि आधुनिक सूचना तकनीक का फैला जाल, कम्प्युटर इन्टरनेट, मीडिया, मोबाईल संस्कृति आदि का प्रभाव बाल–अपराध की उत्पति पर किस प्रकार पड़ा है तथा वे कौन से कारक है जो एक बालक को बाल–अपराधी बना देते हैं। हमनें अपने अध्ययन में बाल–अपराध को रोकने के उपाय में मीडिया की भूमिका, नीतियों तथा बाल–सुधार कार्यक्रमों को प्रभावषाली बनाने तथा बाल–अपराध जैसी गंभीर समस्या के समाधान हेतु ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत विवरण अध्ययन बाल–अपराध के कारणों एंव निदान के ऊपर प्रकाश डालने का एक प्रयास है।

Keywords: *बाल अपराध , समाज , व्यवहार*

1.1 प्रस्तावना

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता वरन् जन्म के पश्चात् ही अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं और वह सामाजिक

नियमों या कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं। उसे अपराध माना जाता है और यदि इस कार्य को अपरिपक्व बालक के द्वारा किया जाता है तो उसे बाल–अपराध (श्रनअमदपसम क्मसपदुनमदबल) की संज्ञा दी जाती है। बाल–अपराध एक विश्वव्यापी समस्या है जिसे प्रत्येक राष्ट्र और समाज में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। यह सत्य है कि प्रत्येक देश एवं काल की परिस्थितियां भिन्न–भिन्न होती हैं, इस कारण बाल–अपराध समस्या की प्रकृति में भी भिन्नता पायी जाती है।

भारत वर्ष में बाल–अपराध के सम्बन्ध में जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह समस्या दिन–प्रतिदिन उग्र रूप धारण करती जा रही है। भारतवर्ष की तुलना में पाश्चात्य देशों में तो यह समस्या और भी अधिक गम्भीर बन चुकी है। इस प्रकार यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण न होगा कि हाइड्रोजन बम, हशीश एवं कम्प्यूटर की भांति बाल–अपराध भी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जन्मी एक विस्फोटक समस्या है जिसका दिन–प्रतिदिन विश्वव्यापी स्तर पर विस्तार होता जा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में इस समस्या को विशेष महत्व दिया जा रहा है। जब एक बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या असामाजिक कार्य किया जाता है, तो इसे बाल अपराध कहा जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से, बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया एक कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

बच्चों के मनोसामाजिक विकास पर मीडिया का प्रभाव गहरा है। हाल के दिनों में संचार प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, एक बच्चे का मीडिया के संपर्क में आना टेलीविजन, रेडियो, संगीत, वीडियो गेम और इंटरनेट सहित कई गुना वृद्धि हुई है। इसलिए यह अध्ययन करने की योजना बनाई गई थी कि क्या समाज में हाल के परिवर्तनों का प्रभाव बाल अपराध पर महत्वपूर्ण है। दैनिक समाचार पत्रो में हम प्रति दिन देश मे बढते बाल अपराध की धटनाओ के बारे में पढते है और चिन्ता भी प्रकट करते है कि देश की युवा पीढी किस दिशा में जा रही है प्रस्तुत अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि आधुनिक सूचना तकनीक का फैला जाल, कम्प्युटर, इन्टरनेट, मीडिया मोबाईल संस्कृति आदि का प्रभाव बाल–अपराध की उत्पति पर किस प्रकार पड़ा है तथा वे कौन से कारक है जो एक बालक को बाल–अपराधी बना देते हैं।

1.2 बाल अपराध और मीडिया

वर्तमान समय में मीडिया के कई चैनल एक साथ टेलीविजन पर उपलब्ध रहते हैं इन पर दिखाये जाने वाले खबरों और कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे परिवारों में चाहे अनचाह नकारात्मक सोच स्वतः आ जाती है। बाल अपराध के दृष्टिकाा से यदि हम देखे तो भारत में इसका ग्राम 90 के दशक से ही बढ़ना शुरू हुआ है जो कि निरन्तर जारी है। एन. सी. आर. बी. रिकार्ड देखने से और स्पष्ट होता है कि पिछले 10 सालों में बाल अपराध का ग्राम बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके अनुसार 1997 में जहाँ बाल अपराध की घटनांए 7909 दर्ज हुई थीं वहीं 2001 आते–आते ये लगभग 3 गुना बढ़कर 22865 हो गई और दुर्भाग्यपू र्ा स्थिति में है कि आपराधिक कानूनों के विभिन्न रूपों में सबसे ज्यादा अपराध बाल अपराधियों द्वारा भा. दं. सं. (आई.पी.सी.) के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जिसका प्रतिशत 61.5 तक देखने को मिला है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इनमें उन बाल अपराधियों की संख्या सर्वाधिक 92.3 प्रतिशत रही जो कि अपने माता–पिता या संरक्षक के साथ रहते थे जबकि वे बच्चे जिनके पास रहने को घर भी नहीं है उनका प्रतिशत बहुत कम रहा वे मात्र 6.8 प्रतिशत के रूप में दर्ज हुए।

1.3 बाल अपराध के रोकथाम के उपाय

➢ समुचित पालन पोषण

किशोर अपराध के निरोध का मूलमंत्र उन कारणो की रोकथाम है जिनसे बालक अपराधी बनते है विभिन्न अध्ययनों से यह देखा गया है कि अपराध की ओर जाने का मूल कारण बालक का समुचित पालन पोषण न होना है। अतरू किशोरापराध को रोकने के लिए सबसे प्रथम परिवारों का पुनर्संगठन करना होगा माता या पिता बनने से पहले प्रत्येक स्त्री और पुरूष को बाल मनोविज्ञान तथा बालकों के पालन पोषण संबंधी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक का पालन पोषण एक कला एवं विज्ञान है इस कला की आवश्यक शर्ता माता–पिता का चरित्र एवं व्यवहार तथा घर का वातावरण है आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार से बालक बिगड़ते जाते है। आवश्यकता से कम स्नेह तथ्ज्ञा प्रूापर पाने से उनका भावात्मक विकास नही हो पाता। अतरू प्यार का बालक के जीवन में बडा महत्व है। मारपीट और

अपमान बहुधा बालक को अपराध की राह पर ले जाता है। घर में वातावरण प्रेमपूर्ण होना चाहिए दूसरे बालक की जिज्ञासाओं के समाधान में बडी सावधानी की आवश्यकता है कोई बात पूछने पर बालक को झिझक दिया जाए या उससे झूठ बोल देने पर प्रभाव बडा बुरा पडता है। बहुधा बालको से यौन जिज्ञासाओं के विषय में झूठ बोल दिया जाता है बालक जब अपने साथियों या घर के नौकरों से सही बात का पा जाता है तब उन पर माता–पिता का झूठ खुला जाता है। बहुधा स्त्री पुरूष के परस्पर प्रेम व्यवहार के समय बालक के आ जान पर वे अपराधी की सी मुद्रा बना लेते है या बालको को फटकार देते है इससे बालक में अपराध ग्रंथी बन जाती है। आवश्यक यौन शिक्षा के अभाव में अनेक बालक–बालिकाऐं बाल अपराध की राह पर अग्रसर हो जाते है। माता–पिता बालक के सामने आदर्श होते है। उनके आपस में झगड़ों का और उनके चरित्र को ठीक रखने के विषय में बालक के प्रति जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए वास्तव में बालक को अपराध से बचाने का तरीका उसकी बुरी आदतों को रोकना नही बल्कि उसमें अच्छी आदतें डालना है।

➢ स्वस्थ मनोरंजन

मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में बडा महत्वपूर्ण स्थान होता है स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में बालक की अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतरू अपराधों को रोकने के लिए स्वस्थ तथा सुसंस्कृत मनोरंजन की सामग्रियों का उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है।

➢ समुचित शिक्षा

परिवार के बाद बालक पर विद्यालय का प्रभाव पडता है अतरू किशोर अपराध को रोकने के लिए बालक की समुचित शिक्षा का प्रबंध होना जरूरी है। समुचित शिक्षा में शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यालय का पाठ्यक्रम, शिक्षा की विविधता और पाठ्यक्रम के अलावा कार्यक्रमों का बडा महत्व होता है। शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ताकि वे अपने विषय को मनोरंजक ढंग से उपस्थिति कर सके और बालक में विषय के प्रति रूचि उत्पन्न कर सकें। शिक्षक का आचरण और व्यवहार बडा सुधरा हुआ होना चाहिए क्योंकि बालक को उसके उराहरण से शिक्षा देनी चाहिए बालक का अपमान बडा भी ही घातक सिद्ध होता है। शारीरिक दण्ड का यथासम्भव प्रयोग नही होना चाहिए। पढ़ने लिखने में कमजोर बालकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके अपराधी बनने की संभावना अधिक रहती है विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनने तथा आपस के मामलों को स्वयं

निपटाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। खेलकूद नाटक, वाद विवाद, स्काउटिंग तथा नाना प्रकार की प्रतयोगिताओं के द्वारा बालक की विभिन्न प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त होने का अवसर मिलने से उसकी अपराध की ओर जाने की संभावना कम हो जाती है सामान्य शिक्षा के साथ–साथ बालको को शारीरिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। स्कुल से भागना, अपराध की पहली सिढ़ी है स्कूल का वातावरण तथा शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बालक विद्यालय से न भागें।

➢ मनोवैज्ञानिक दोषो का उपचार

मनोवैज्ञानिक दोष अपराध के महत्वपूर्ण कारण है अतरू बालकों को अपराधों से रोकने के लिए उनके मनोवैज्ञानिक दोषो का उपचार अत्यंत आवश्यक है इसके लिए विद्यालयों में लगे हुए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक होना चाहिए जो बालकों के विषय में उचित देखभाल कर सकें तथा परामर्श दे सकें।

1.4 शोध पद्धति

शोध का अध्ययन साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित है। इस अनुसूची में साक्षात्कार के साथ–साथ शोधकर्ता ने पर्यवेक्षण विधि को अपनाकर सूचना को एकत्रित किया साक्षात्कार अनुसूची के अलावा अवलोकन को भी सुनिश्चित किया गया और संस्थाओं के अधिकारियों का भी अनौपचारिक साक्षात्कार लिया गया।

शोध के तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अनौपचारिक साक्षात्कार एवं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति आदि का प्रयोग किया गया। तथ्यों के एकत्रीकरण में प्राथमिक स्रोतों के अलावा द्वितीयक स्रोतों का भी प्रयोग किया गया है। इस सन्दर्भ में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों तथा समय–समय पर प्रकाशित बाल अपराध के आंकड़ों का भी अध्ययन किया गया है। आंकड़ों के संकलन के लिये सर्वप्रथम एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया जिनकी मदद से स्कूल के बच्चों, जेल में निरुद्ध बच्चों, विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या, सुधार संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों, अभिभावकों और कर्मियों का साक्षात्कार सुनिश्चित किया गया।

अध्ययन के लिए नमूने में सरकारी प्रेक्षण गृह राउरकेला उप जेल के कैदी शामिल थे, 75 कैदियों में से कुल 50 कैदियों का साक्षात्कार लिया गया . विस्तृत केस स्टडी। पेश करने के लिए गृह के कैदियों और अपराधों के कुल 5 मामलों का विस्तार से अध्ययन किया गया लगभग 90ः बाल ओडिशा से थे,

और उनमें से केवल 10ः बाल दूसरे राज्यों के थे। प्रेक्षण गृह में अपराधियों को रखा गया था, जिनमें से 90ः आरोपी विचाराधीन। थे और बाकी 10ः कैदियों को दोषी ठहराया गया। इनमें 72 फीसदी छह महीने से भी कम समय तक ऑब्जर्वेशन होम में रहने वाले किशोरों में से थे और 20ः एक वर्ष से कम समय से रह रहे हैं थे, और केवल 8ः दो वर्ष से कम समय से रह रहे थे । चारों ओर यह पाया गया कि 76 प्रतिशत बाल पहले ही अदालत जा चुके हैं। उनमें से, 34.21ः किशोरों ने दो बार अदालत का दौरा किया था, 31.57ः, एक बार के लिए, 23.68ः तीन बार के लिए और 10.52 फीसदी बाल चार बार कोर्ट आए थे। लगभग 24ः किशोरों ने अभी तक कोर्ट नहीं ले जाया गया है।

1.5 निष्कर्ष

आज बाल अपराध की समस्या समाजशास्त्रियों, अपराधशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के लिये गम्भीर विचार का प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि बाल अपराध की निरन्तर वृद्धि ने वयस्क अपराध की समस्या को अधिक भयावह बना दिया है। यह माना जाता है कि बाल अपराध, अपराध का प्रवेश द्वार है। यही कारण है कि वर्तमान समय में बाल अपराध की समस्या की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा बाल अपराध की ओर प्रवृत्त करने में उत्तरदायी कारकों की खोज तथा बाल अपराध निषेध के कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जा रहा है। सूचनाओं के विश्लेषण से इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं :–

- बहुसंख्य (91.23 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को अपचार/अपराध करने हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रेरित किया जाता है जबकि 8.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपचार/अपराध करने हेतु प्रिंट मीडिया द्वारा प्रेरित किया जाता है;
- अधिसंख्य (68.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि मीडिया द्वारा बाल अपराधियों को बढ़ावा मिलता है;

1.6 उपसंहार

''बाल अपराध के नियंत्रण तथा उनके पुनर्वासन व सुधार में मीडिया की भूमिका की सम्भावना का विश्लेषण'' से सम्बन्धित है जिसमें बाल अपराध पर मीडिया के प्रभाव के सम्बन्धत सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण व विवेचन किया गया है। उत्तरदाता के अनुसार समाचार

पत्रों में 90 प्रतिशत मसाला अपराध का होता है टी.आर.पी. के चक्कर में समाचार चैनलों द्वारा अपराधी को ग्लैमराइज किया जाता है; सर्वाधिक (56.00 प्रतिशत) उत्तरदाता के अनुसार बाल अपराध को बढ़ाने और रोकने में इलेक्ट्रानिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

सन्दर्भ

[1] तिवारी, आर0के0 एवं श्रीराम यादव (2012) 'बाल अपराध पर जनसंचार माध्यमो ं का प्रभाव : एक समाज ाास्त्रीय अध्ययन'' राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्श 14 अंक 1, जनवरी – जून 2012, 8 5

[2] टर्मिनल कोर 'वेल्यूज एसोसिएट ेड विद् एडोलिसेंट प्रॉबलम्स, बिहेवियर'', एडोलिसेंस 43 (133), 47–60

[3] रोक ेच, एम. (1973), ''दि नेचर आफ हय ूमन एटीट्यूडस'', फ्री प्रेस, न्ययू ार्क, 438।

[4] स्ट्रास बर्गर, बी. (1995), ''एडोलिसेंट एंड द मीडिया,'' कैलिफोर्निया : सेज, 2

[5] रार्बट, डी. एवं श्रम डब्लू (1971) ि ाकागो : यू िनवर्सिटी प्रेस आफ इलिनायस, 596

[6] आहूजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2012

[7] भटनागर बी0ए0, अधिगमकर्त्ता का विकास एव ं शिक्षण–अधिगम प्र क्रि या, राधिका कम्प्यूटर्स, मेरठ, 2013

[8] मिश्र कुमार ब्रज, मानस रा ेग असमान्य मना ेविज्ञान, च्स् स्मंतदपदह प्र ा. लि., दिल्ली, 2015

[9] चक्रवती तरूण, अपने बच्चे का ेश्र ेश्ठ क ैसे बनाएं, डायमण्ड पोकेट ब ुक्स प्र ा. लि. , 2016

[10] एनसीआरबी की रिपोर्ट 2016